<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 776 / 15</u> <u>संस्थापन दिनांक:-07 / 12 / 15</u> फाईलिंग नं. 233504001462015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

कालू उर्फ वीरेंद्र पिता रूपसिंह चौहान उम्र 38 वर्ष, निवासी बस स्टेंड आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 19.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 327 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.12.2015 को समय 09:10 बजे थाना आमला से 01 किमी. दक्षिण में स्थित फरियादी की दुकान के सामने बस स्टेंड आमला में फरियादी रितेश मालवीय से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 327 भा0दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.12.2015 को रात्रि करीब 9 बजे फरियादी उसकी दुकान बंद कर रहा था तभी उसके मोहल्ले का कालू ठाकुर हाथ में चाकू लेकर आया और उसे मादरचोद चितकवरे मुझे शराब पीने के लिए पैसे दे कहा। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट किया जिससे उसके बांये हाथ की बीच वाली अंगुली के पास चोट आयी। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 626/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक स्टील का धारदार चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.12.2015 को समय 09:10 बजे थाना आमला से 01 किमी. दक्षिण में स्थित फरियादी की दुकान के सामने बस स्टेंड आमला में फरियादी रितेश मालवीय से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ? ''

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 रीतेश मालवीय (अ.सा.—1) का कहना है कि घटना रात 8.30—9 बजे की बस स्टेंड स्थित उसकी किराना दुकान की है। घटना के समय वह उसकी किराना दुकान में बैठा हुआ था तभी अभियुक्त दुकान पर आया और उसके साथ गाली गलौच करने लगा और उसके साथ पुराने विवाद के उपर से मारपीट करने लगा। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उनके बीच में पैसों की कुछ उधारी थी और उन्हीं पैसों पर से विवाद हुआ था। साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी जो प्रदर्श पी—1 है तथा पुलिस ने मौका नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी—2 है। अभियोजन द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे जाने एवं पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त तथा फरियादी के मध्य विवाद होना प्रमाणित होता है परंतु अभियुक्त द्वारा फरियादी से अवैध पैसे की मांग कर उसके साथ मारपीट की गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी रितेश मालवीय से अवैध पैसे की मांग कर सम्पत्ति उद्यापित करने के प्रयोजन से उसके साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त कालू उर्फ वीरेंद्र को धारा 327 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्त एक स्टील का धारदार चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)